लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 731
07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिले सिलाए वस्त्र उत्पादन में गिरावट

731. डॉ. शशि थरूर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2022 में इसी अवधि की तुलना में अप्रैल और अगस्त, 2023 के बीच भारत के सिले सिलाए वस्त्र उत्पादन में 22.6 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उन चिंताओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वस्त्र और परिधान क्षेत्र में अनेक मिलों को हो रही भारी नकदी हानि से निपटने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार सूती धागे, कपड़ा, मेड-अप्स और हथकरघा उत्पादों के निर्यात को सहायता देने और उनका पुनरुत्थान करने की योजना बना रही है जिसमें लदान में वर्ष-दर-वर्ष 1.21 प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र के सामने आने वाली किसी भी चुनौती को बढ़ावा देने और उसका समाधान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/पहलें क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में - पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जो एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु है,जिससे निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल और निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना; बेंचमार्क वस्त्र मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि के लिए शुरू से अंत तक सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल हैं।

(ङ) और (च): वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 31 मार्च, 2026 तक अपैरल/गारमेंटस और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) में छूट की योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है। सरकार वस्त्र और गारमेंटस निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। मंत्रालय भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की क्षमता का प्रदर्शन करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचार/प्रवृत्तियों को उजागर करने और भारत को वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन से फरवरी, 2024 में मेगा टेक्सटाइल शो अर्थात भारत टेक्स, 2024 के आयोजन करने में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों की भी सहायता कर रहा है।

*****